

विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 78

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	18642.59	2492.51	21135.10	19833.20	2048.08	21881.28	14194.13	449.80	14643.93	17727.03	3180.77	20907.80
<b>वसूलियां</b>	-4935.77	-877.45	-5813.22	-5040.66	-965.80	-6006.46	-3743.00	-65.80	-3808.80	-3970.00	-1615.80	-5585.80
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	13706.82	1615.06	15321.88	14792.54	1082.28	15874.82	10451.13	384.00	10835.13	13757.03	1564.97	15322.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	44.94	...	44.94	51.57	...	51.57	50.58	...	50.58	58.86	...	58.86
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>44.94</i>	...	<i>44.94</i>	<i>51.57</i>	...	<i>51.57</i>	<i>50.58</i>	...	<i>50.58</i>	<i>58.86</i>	...	<i>58.86</i>
2. विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	116.61	...	116.61	130.66	...	130.66	126.27	...	126.27	130.66	...	130.66
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	8.66	...	8.66	9.65	...	9.65	11.44	...	11.44	14.00	...	14.00
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	15.31	...	15.31	17.40	...	17.40	23.08	...	23.08	23.08	...	23.08
2.04 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	...	...	...	66.50	...	66.50	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00
2.05 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	...	...	...	-66.50	...	-66.50	-220.00	...	-220.00	-220.00	...	-220.00
<i>निवल</i>	<i>140.58</i>	...	<i>140.58</i>	<i>157.71</i>	...	<i>157.71</i>	<i>160.79</i>	...	<i>160.79</i>	<i>167.74</i>	...	<i>167.74</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>185.52</b>	...	<b>185.52</b>	<b>209.28</b>	...	<b>209.28</b>	<b>211.37</b>	...	<b>211.37</b>	<b>226.60</b>	...	<b>226.60</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता</b>												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	96.03	...	96.03	109.99	...	109.99	36.95	...	36.95	80.00	...	80.00
<b>दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना</b>												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	3926.21	...	3926.21	4500.00	...	4500.00	2000.00	...	2000.00	3600.00	...	3600.00
<b>एकीकृत विद्युत विकास योजना</b>												
5. एकीकृत विद्युत विकास योजना												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	4380.45	877.45	5257.90	4400.00	900.00	5300.00	3523.00	...	3523.00	3750.00	1550.00	5300.00
5.02 आईपीडीएस - अनुदान	4682.68	...	4682.68	4400.00	...	4400.00	3700.00	...	3700.00	3750.00	...	3750.00
5.03 आईपीडीएस - ऋण	...	877.45	877.45	...	900.00	900.00	...	300.00	300.00	...	1550.00	1550.00
5.04 घटाएं- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-4380.45	-877.45	-5257.90	-4400.00	-900.00	-5300.00	-3523.00	...	-3523.00	-3750.00	-1550.00	-5300.00
	<i>निवल</i>	<i>877.45</i>	<i>5560.13</i>	<i>4400.00</i>	<i>900.00</i>	<i>5300.00</i>	<i>3700.00</i>	<i>300.00</i>	<i>4000.00</i>	<i>3750.00</i>	<i>1550.00</i>	<i>5300.00</i>
<b>पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण</b>												
6. पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
6.01 स्मार्ट ग्रिड	6.10	...	6.10	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
6.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	1.50	1.50	...	33.00	33.00	...	18.67	18.67	...	14.95	14.95
6.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
6.04 कारगिल से होकर श्रीनगर से लेह दो सौ बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन	...	160.47	160.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	430.00	...	430.00	430.00	...	430.00	81.00	...	81.00	335.00	...	335.00
6.06 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	340.00	...	340.00	340.00	...	340.00	200.00	...	200.00	265.00	...	265.00
6.07 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00
6.08 वास्तविक वसूली	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	<i>161.97</i>	<i>1813.07</i>	<i>1810.00</i>	<i>33.00</i>	<i>1843.00</i>	<i>801.00</i>	<i>18.67</i>	<i>819.67</i>	<i>1440.00</i>	<i>14.95</i>	<i>1454.95</i>
<b>पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड</b>												
7. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
7.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) को अंतरण	555.32	...	555.32	574.16	...	574.16	824.16	...	824.16	574.16	...	574.16
7.02 पावर सिस्टम विकास (पीएसडीएफ) योजना	103.47	...	103.47	121.48	...	121.48	371.48	...	371.48	121.54	...	121.54
7.03 गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.04 ऋण पर ब्याज का भुगतान	451.85	...	451.85	452.68	...	452.68	452.68	...	452.68	452.62	...	452.62
7.05 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-555.32	...	-555.32	-574.16	...	-574.16	-824.16	...	-824.16	-574.16	...	-574.16
	<i>निवल</i>	<i>555.32</i>	<i>555.32</i>	<i>574.16</i>	<i>...</i>	<i>574.16</i>	<i>824.16</i>	<i>...</i>	<i>824.16</i>	<i>574.16</i>	<i>...</i>	<i>574.16</i>
8. सुधार आधारित वितरण स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं</b>	<b>10911.34</b>	<b>1039.42</b>	<b>11950.76</b>	<b>11394.16</b>	<b>933.00</b>	<b>12327.16</b>	<b>7362.12</b>	<b>318.67</b>	<b>7680.79</b>	<b>9444.17</b>	<b>1564.95</b>	<b>11009.12</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
9.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	178.00	...	178.00	200.00	...	200.00	80.00	...	80.00	180.00	...	180.00
9.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	28.91	...	28.91	82.34	...	82.34	25.96	...	25.96	70.00	...	70.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	206.91	...	206.91	282.34	...	282.34	105.96	...	105.96	250.00	...	250.00
10. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
10.01 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (कार्यक्रम घटक)	100.16	...	100.16	100.16	...	100.16	56.32	...	56.32	115.82	...	115.82
10.02 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (ईएपी घटक)	0.50	...	0.50	3.21	...	3.21	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	100.66	...	100.66	103.37	...	103.37	56.33	...	56.33	117.82	...	117.82
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>307.57</b>	...	<b>307.57</b>	<b>385.71</b>	...	<b>385.71</b>	<b>162.29</b>	...	<b>162.29</b>	<b>367.82</b>	...	<b>367.82</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
11. सीपीएसयू को सहायता												
11.01 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	554.64	554.64	...	84.27	84.27	...	65.31	65.31	...	...	...
11.02 टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)	...	21.00	21.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.03 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	322.85	...	322.85	373.65	...	373.65	203.73	...	203.73	602.53	...	602.53
11.04 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
11.05 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1504.82	...	1504.82	1920.92	...	1920.92	1920.92	...	1920.92	2416.00	...	2416.00
11.06 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	...	...	...	104.40	...	104.40	60.73	...	60.73	104.40	...	104.40
11.07 सुवनसिंघर लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान	...	...	...	...	...	...	105.00	...	105.00	145.00	...	145.00
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	2204.06	575.64	2779.70	2775.37	84.27	2859.64	2666.78	65.31	2732.09	3644.33	...	3644.33
12. एनटीपीसी के लिए कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण												
12.01 कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	...	...	...	65.80	65.80	...	65.80	65.80	...	65.80	65.80
12.02 कम वसूली	...	...	...	...	-65.80	-65.80	...	-65.80	-65.80	...	-65.80	-65.80
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>2204.06</b>	<b>575.64</b>	<b>2779.70</b>	<b>2775.37</b>	<b>84.27</b>	<b>2859.64</b>	<b>2666.78</b>	<b>65.31</b>	<b>2732.09</b>	<b>3644.33</b>	...	<b>3644.33</b>
<b>अन्य</b>												
13. सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. केओडब्ल्यूईपीओ मामले में कानूनी फर्म पीएंडए लॉ एसोसिएट्स को भुगतान	0.50	...	0.50	28.00	...	28.00	8.40	...	8.40	...	...	...
15. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	97.83	...	97.83	...	...	...	32.15	...	32.15	16.08	...	16.08
16. सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता	...	...	...	...	65.00	65.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
18. विवाद निपटान प्राधिकरण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19. केन्द्रीय ट्रांसमिशन उपयोगी सेवा का सृजन	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00	30.00	...	30.00
20. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.00	...	28.00
21. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>98.33</b>	...	<b>98.33</b>	<b>28.02</b>	<b>65.01</b>	<b>93.03</b>	<b>48.57</b>	<b>0.02</b>	<b>48.59</b>	<b>74.11</b>	<b>0.02</b>	<b>74.13</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>2609.96</b>	<b>575.64</b>	<b>3185.60</b>	<b>3189.10</b>	<b>149.28</b>	<b>3338.38</b>	<b>2877.64</b>	<b>65.33</b>	<b>2942.97</b>	<b>4086.26</b>	<b>0.02</b>	<b>4086.28</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>13706.82</b>	<b>1615.06</b>	<b>15321.88</b>	<b>14792.54</b>	<b>1082.28</b>	<b>15874.82</b>	<b>10451.13</b>	<b>384.00</b>	<b>10835.13</b>	<b>13757.03</b>	<b>1564.97</b>	<b>15322.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. विद्युत	13661.88	...	13661.88	12763.47	...	12763.47	9369.55	...	9369.55	11925.67	...	11925.67
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	44.94	...	44.94	51.57	...	51.57	50.58	...	50.58	58.86	...	58.86
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	182.97	182.97	...	98.01	98.01	...	18.69	18.69	...	14.97	14.97
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	1432.09	1432.09	...	894.27	894.27	...	340.31	340.31	...	1430.00	1430.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>13706.82</b>	<b>1615.06</b>	<b>15321.88</b>	<b>12815.04</b>	<b>992.28</b>	<b>13807.32</b>	<b>9420.13</b>	<b>359.00</b>	<b>9779.13</b>	<b>11984.53</b>	<b>1444.97</b>	<b>13429.50</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1977.50	...	1977.50	1031.00	...	1031.00	1772.50	...	1772.50
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	...	...	...	...	90.00	90.00	...	25.00	25.00	...	120.00	120.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1977.50</b>	<b>90.00</b>	<b>2067.50</b>	<b>1031.00</b>	<b>25.00</b>	<b>1056.00</b>	<b>1772.50</b>	<b>120.00</b>	<b>1892.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>13706.82</b>	<b>1615.06</b>	<b>15321.88</b>	<b>14792.54</b>	<b>1082.28</b>	<b>15874.82</b>	<b>10451.13</b>	<b>384.00</b>	<b>10835.13</b>	<b>13757.03</b>	<b>1564.97</b>	<b>15322.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	36618.48	36618.48	...	21000.00	21000.00	...	21000.00	21000.00	...	23736.00	23736.00
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	554.64	2534.92	3089.56	84.27	5317.02	5401.29	65.31	5230.69	5296.00	...	8057.44	8057.44
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	683.80	683.80	...	2342.00	2342.00	...	2342.00	2342.00	...	2857.06	2857.06
4. उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	980.49	980.49	...	564.36	564.36	...	965.00	965.00	...	810.02	810.02
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	1250.04	1250.04	...	2880.00	2880.00	...	2880.00	2880.00	...	5000.00	5000.00
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	...	1473.19	1473.19	...	1781.00	1781.00	...	1828.03	1828.03	...	2730.00	2730.00
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	15313.00	15313.00	...	10500.00	10500.00	...	10500.00	10500.00	...	7500.00	7500.00
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	...	3782.00	3782.00	...	5500.00	5500.00	...	5500.00	5500.00	...	9300.00	9300.00
9. विद्युत वित्त निगम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>554.64</b>	<b>62635.92</b>	<b>63190.56</b>	<b>84.27</b>	<b>49884.38</b>	<b>49968.65</b>	<b>65.31</b>	<b>50245.72</b>	<b>50311.03</b>	<b>...</b>	<b>59990.52</b>	<b>59990.52</b>

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.01. **विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ-साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.04. **विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल:** सीईआरसी एक पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसके पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 अन्यथा को निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, अगर ऐसी सृजनशील कंपनियां दर्ज हों या अन्यथा अंतरराज्यीय संचरण और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने और राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के टैरिफ सहित अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना शामिल है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग (1) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (2) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (3) नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्टड एनर्जी एफिसिएंसी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (4) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा। (5) संचालन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मेधावी प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों, संचरण और वितरण उपयोगिता और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाएगा।

4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:** दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: (क) कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग में डिस्कॉमों की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संबर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संबर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है।

5. **एकीकृत विद्युत विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात् शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है। आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं : भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं।

5.01. **केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण:** इस योजना के तहत धनराशि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाती है।

5.02. **आईपीडीएस - अनुदान:** एक विशेष समय सीमा के भीतर इस योजना के तहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी के माध्यम से उपयोगी सेवाओं के लिए अनुदान दिया जाता है।

5.03. **आईपीडीएस - ऋण:** नोडल एजेंसी के माध्यम से गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोगी सेवाओं के लिए ऋण दिया गया है, जो कार्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

6.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित कर सकती है।

6.02. **हुरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

6.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

6.05. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए है। इसका वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए इन राज्यों के अंतरराज्यीय परेषण एवं वितरण परियोजनाओं को अलग किया गया है।

6.07. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की गई है।

7. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

8. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** वितरण उपक्षेत्र के लिए परिणाम और सुधारों के आधार पर वित्तीय सहायता के मिश्रण के रूप में सभी के लिए 24x7 टिकाऊ बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक योजना, और एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य वितरण क्षेत्र. यह योजना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल विभिन्न सप्लाय फ्रैंचाइजी सहित विभिन्न फ्रैंचाइजी मॉडल्स को अपनाने और रिफॉर्म पैकेजों को अपनाने के मामले में डिस्काम को समर्थन की परिकल्पना करती है।

9.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

9.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

10. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** वीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

11.03. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर विकास पैकेज (2015) का भाग है। सहायता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी परियोजना के लिए है।

11.04. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** पीएफसी द्वारा अवसंरचना बांड पर देय ब्याज, बांड जारी करने और संबंधित खर्चों के लिए अपेक्षित है।

11.05. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 15000 करोड़ रुपये ईवीआर के कारण ब्याज भुगतान जुटाए गए।

11.06. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के संबंध में पुरस्कार के वितरण के लिए है।

11.07. **सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाही संरक्षण कार्य पर व्यय। 24.09.2019 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाही संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

12. **एनटीपीसी के लिए कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण:** एनटीपीसी के लिए कोयला असर वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण पर एनटीपीसी से रिकवरी के माध्यम से मुलाकात के रूप में आवंटन बजट तटस्थ है।

13. **सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट:** सीपत, छत्तीसगढ़ में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना की स्थापना।

15. **एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान:** बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के पट्टे पर लिए जाने के कारण दक्षिण दिल्ली नगर निगम को भुगतान।

16. **सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता:** जल परियोजना के स्थल पर सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों एवं पुलों आदि के विकास के लिए आवंटन।

17. **बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं में बाढ़ मंदन भंडारण के लिए सहायता हेतु आवंटन।

18. **विवाद निपटान प्राधिकरण:** सेक्शन 79(1)(च) - विद्युत् एक्ट, 2003 के अंतर्गत विवाद समाधान प्राधिकरण का प्रावधान है जिसके अंतर्गत विद्युत् लिसेंसी एवं ऊर्जा उत्पादन एजेंसी से सम्बंधित विवाद का निपटारन किया जाना प्रस्तावित है।

19. **केन्द्रीय ट्रांसमिशन उपयोगी सेवा का सृजन:** पावरग्रिड से सीटीयू के अलग होने की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह तय किया गया था कि अलग सीटीयू कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। यह भारत सरकार की एक अलग कंपनी के रूप में सीटीयू के गठन के लिए स्थापना व्यय से संबंधित समिति के विचाराधीन है।

20. **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की ओर से मामले तथा विवाद के प्रतिवाद के लिए इंडिया कोरिया सीईपीए तथा इंडिया कोरिया वीआईटी के अंतर्गत कानूनी फर्म को भुगतान।

21. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना तीन विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले बिजली एवं नवीकरणीय उपकरण के लिए 3 विनिर्माण क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए है। इन क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधाएं बिजली क्षेत्र एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित उपकरण के आयात, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्ची सामग्री, महत्वपूर्ण अतिरिक्त पूर्ण आदि पर निर्भरता कम करने के लिए अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी पर आधार होगी।